



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 500]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2009/भाद्र 16, 1931

No. 500]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2009/BHADRA 16, 1931

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 640(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 22 अगस्त, 2009 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 597(अ) द्वारा अधिसूचित आदेश में संशोधन करती है, अर्थात् :—

(i) उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'2. यह आदेश राजपत्र में उसके प्रकाशन के अट्ठाईस दिन के पश्चात् अर्थात् 19-9-2009 को प्रवृत्त होगा और छह मास की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।'

[फा. सं. 1(17)/98-एस.पी.-1]

आर. पी. भागरिया, मुख्य निदेशक (शर्करा)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 7th September, 2009

G.S.R. 640(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, the Central Government hereby amends the Order notified *vide* notification number G.S.R. 597(E), dated the 22nd August, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) namely :—

(i) In the said notification, in paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely :—

'2. This Order shall come into force after twenty eight days of its publication in the Official Gazette i.e. on 19-9-2009 and remain in force for a period of six months.'

[F. No. 1(17)/98-SP-I]

R. P. BHAGRIA, Chief Director (Sugar)